

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2454/2026

Bholaram Vyas S/o Shivilal, Aged About 40 Years, R/o Sankariya,
P.s. Gangdhar, Distt. Jhalawar (Rajasthan) (Presently Confined In
District Jail At Jhalawar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anupam Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना गंगधर, जिला-झालावाड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी के आधिपत्य से 11 किलो 235 ग्राम डोडा चूरा बरामद होना बताया गया है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा 50 किलो से काफी कम है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का इस प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण भी संस्थित नहीं है। प्रार्थी दिनांक 17.01.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण में अभियुक्त से 11 किलो 235 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है। प्रकरण में सहअभियुक्त अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। प्रकरण में अन्वेषण अभी लम्बित है। अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर

अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त के आधिपत्य से 11 किलो 235 ग्राम डोडा चूरा की बरामदगी हुई है, जो वाणिज्यिक मात्रा 50 किलो से काफी कम है। प्रार्थी दिनांक 17.01.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का इस प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। पूर्व का जो एक प्रकरण संस्थित होना बताया गया है, वह धारा 189(2), 285 भारतीय न्याय संहिता का है। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी-अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी-अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J